पुरानी कारें बेचना

Hindi

कार या मोटरसाइकिल बेचने का लाइसेंस

कानूनी तौर पर आपके पास एक सेकेंड-हैंड वाहन डीलर लाइसेंस होना चाहिए, अगर:

- आप 12 महीनों में 4 या इससे ज़्यादा वाहन खरीदते हैं, बेचते हैं या इनकी बिक्री की पेशकश करते हैं
- आप और आपका कोई करीबी सहयोगी (जैसे कि आपका पति-पत्नी, पार्टनर, भाई या बहन) 12 महीनों में 6 या इससे ज़्यादा वाहन खरीदने या बेचने की पेशकश करते हैं। आपके और आपके सहयोगी दोनों के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है।

लाइसेंस प्राप्त डीलरों को अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए निजी विक्रेता होने का दिखावा नहीं करना चाहिए।

ओडोमीटर संबंधी नियम

लाइसेंस प्राप्त डीलरों और निजी विक्रेताओं को वाहन के ओडोमीटर को तब तक नहीं बदलना चाहिए - जब तक कि उपभोक्ता और व्यावसायिक सेवाएँ (CBS) मीटर को बदलने की अनुमति न दें। ओडोमीटर बदलने में मीटर को बदलना, उसकी मरम्मत करना या रीडिंग बदलना जैसी चीज़ें शामिल होती हैं।

डीलर की ज़िम्मेदारियाँ

लाइसेंस प्राप्त डीलरों को सेकेंड-हैंड वाहन डीलर्स अधिनियम 1995 और ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता कानून का पालन करना होगा।

अगर आप इन कानूनों के तहत कार्य नहीं करते हैं, तो CBS निम्न कार्रवाई कर सकती है - उदाहरण के लिए, औपचारिक चेतावनी-पत्र दे सकती है, भूल-सुधार नोटिस (जुर्माना) लगा सकती है, जनता को आपके साथ व्यवहार न करने की चेतावनी दे सकती है या आप पर अदालती कार्रवाई कर सकती है।

आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं।

- अपने डीलर लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आपको अपना बिक्री पता CBS में पंजीकृत करना होगा। अगर आप पता बदलते हैं या अपने लाइसेंस में और स्थान जोड़ना चाहते हैं, तो आपको CBS को सूचित करना होगा।
- आप ऐसे सेल्सपर्सन को नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, जो कुछ विशेष अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हों या कुछ प्रकार की नौकरियों से निलंबित या अयोग्य घोषित किए गए हों।
- हर साल आपको सेकंड-हैंड वाहन क्षतिपूर्ति निधि में एक शुल्क देना होगा। यह निधि लोगों को उन डीलरों से बचाती है, जो कानूनी तरीके से काम नहीं करते हैं। आप अपना लाइसेंस नवीनीकृत करते समय इस शुल्क का भुगतान करते हैं।

Government of South Australia
Consumer and Business Services

लिखित जानकारी और अनुबंध

आपको बिक्री वाले वाहन पर एक नोटिस लगाना होगा और उसकी एक प्रति खरीदार को भी देनी होगी। नोटिस में निम्नलिखित बातें शामिल होनी आवश्यक हैं: वाहन की कीमत; मेक और मॉडल और निर्माण का वर्ष; पंजीकरण संख्या और पहले पंजीकरण का वर्ष; इंजन नंबर; और ओडोमीटर रीडिंग।

आप खरीदार को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देंगे, जो गलत हो या जिससे उन्हें ऐसी बात पर विश्वास हो जाए, जो सही न हो।

वाहन बेचते समय एक ऐसा लिखित अनुबंध होना आवश्यक है, जिस पर आप और खरीदार दोनों के हस्ताक्षर हों तथा उसकी एक प्रति खरीदार को दी जाए।

कूलिंग ऑफ़ (पुनर्विचार - अवधि)

खरीदार के पास खरीदी के बारे में पुनर्विचार करने के लिए पूरे 2 व्यावसायिक दिन होते हैं। शनिवार भी व्यावसायिक दिन हैं। खरीदार 2 दिनों के भीतर आपको लिखित नोटिस देकर अनुबंध रद्द कर सकता है।

भुगतान

आप खरीदार से बिक्री मूल्य का 10% तक जमा करने के लिए कह सकते हैं। अगर खरीदार कूलिंग ऑफ़ अवधि के दौरान अनुबंध रद्द कर देता है, तो आप अनुबंध मूल्य का केवल 2% या $100, जो भी कम हो, अपने पास रख सकते हैं। आपको बाकी पैसे खरीदार को वापस देने होंगे।

कमियाँ

आपको केवल वही वाहन बेच सकते हैं, जो सड़क पर चलने लायक हों और आपको खरीदारों को सभी ज्ञात कमियों (समस्या) के बारे में बताना होगा। कुछ समस्याएँ कार के चलने के तरीके को प्रभावित नहीं करती हैं - जैसे नेविगेशन सिस्टम या एयर कंडीशनिंग की समस्याएँ। हर कमी वारंटी द्वारा कवर नहीं की जाती है।

आपको स्टेच्युटरी राइट-ऑफ़ के रूप में वर्गीकृत वाहन नहीं बेचना चाहिए। आपको खरीदारों को यह बताना होगा कि क्या कार को कभी पूरी तरह से कबाड़, या राइट-ऑफ के रूप में दर्ज किया गया है या पानी के संपर्क में आने के कारण उसमें काफी नुकसान हुआ था। आपको खरीदारों को यह बताना होगा कि क्या कार 'मरम्मत योग्य राइट-ऑफ' है।

मरम्मत उद्योग के स्वीकार्य मानकों के अनुसार की जानी चाहिए। अगर कोई वाहन मरम्मत के लिए आपके पास लाया जाता है, और आप उचित समय में मरम्मत नहीं कर सकते है या नहीं कर पाते हैं, तो वाहन स्वामी मामले के निवारण के लिए CBS में एक कॉन्सिलिएशन कॉन्फ्रेंस (conciliation conference) हेतु आवेदन कर सकता है। अगर आप कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेते हैं, कॉन्फ्रेंस में अनुचित व्यवहार करते हैं या कॉन्फ्रेंस में किए गए समझौते के अनुसार अपना कार्य पूरा नहीं करते हैं, तो CBS आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।

वैधानिक वारंटी

$3,001 से $6,000 के बीच की कीमत वाली कारों के लिए, 3,000 किमी या 2 महीने तक, जो भी पहले हो, की वारंटी दी जाती है।

$6,000 के ज यादा कीमत वाली कारो लिए, 5,000 किमी या 3 महीने तक, जो भी पहले हो, की वारी ट्र ी दी जाती है।

वैधानिक वारी ट्र ी मोट्र रसाइकिलो पर लागू नहीं होती है और उन कारो पर भी लागू नहीं होती है जो:

- $3,000 या इससे कम में बेची गई हों
- बिक्री से पहले 200,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हों
- पहली बार 15 वर्ष से अधिक समय पहले पंजीकृत की गई हों।

ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता कानून

ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता कानून (ACL) के तहत, एक लाइसेंस प्राप्त डीलर के रूप में आप गारंटी देते हैं कि वाहन स्वीकार्य गुणवत्ता के होंगे। आप यह भी गारंटी देते हैं कि सभी निर्माता वारंटी, एक्सप्रेस वारंटी या विस्तारित वारंटी को पूरा किया जाएगा।

अगर उपभोक्ता गारंटी पूरी नहीं होती है, तो आपको या निर्माता को कमियों को ठीक कराना होगा।

उपभोक्ता गारंटी:

- कोई वारंटी न होने की स्थिति में भी सभी वाहनों पर लागू होती हैं
- किसी निश्चित समय अवधि या निश्चित किलोमीटर तक सीमित नहीं होती हैं
- उचित समय अवधि के लिए लागू होती हैं, भले ही वारंटी समाप्त हो जाए। 'उचित' क्या है यह भुगतान की गई कीमत, वाहन की आयु और यात्रा की गई दूरी जैसी चीज़ों पर निर्भर करेगा,

लेकिन अगर कोई खरीदार वाहन का दुरुपयोग करके उसमें कोई खराबी पैदा कर देता है, तो आपको उसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है।

अधिक जानकारी

- second-hand vehicle dealer responsibilities के बारे में अधिक जानकारी के लिए SA.GOV.AU पर जाएँ।
- अगर आप अपने लाइसेंस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो occupational@sa.gov.au के माध्यम से CBS से संपर्क करें।
- अगर आपको लगता है कि कोई कार-विक्रेता कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो इसकी रिपोर्ट CBS को cbs.sa.gov.au/contact पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से करें या CBS को 131 882 पर कॉल करें।